School of Economics

Class – B.A.(H) – IVth sem. (Subsidary)

Teacher – Dr. Dharmendra Singh

Topics – Public Expenditure

Unit – 3

Sub. – Public Economics

---

24.4.2020 – Wagner's Law And P.Ex.
वैगनर का नियम एवं सार्व. व्यय

25.4.2020 – सार्व. व्यय के सिद्धांत या नियम

26.4.2020 – सार्व. व्यय के प्रभाव

27.4.2020 – सार्व. व्यय के ~~अन्य~~ प्रभाव (निरंतर)

28.4.2020 – भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण

29.4.2020 – सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

30.4.2020 – सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव

अर्थव्यवस्था में सड़कें, हवाई अड्डा, बन्दरगाह, नहर, पुल, सिंचाई के साधन, बाँध, विद्युत केन्द्र आदि आधारिक संरचना की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। यह सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होता है, अतः ऐसी सामूहिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि सार्वजनिक व्यय द्वारा की जाती है।

नियोजन में सरकार जहाँ निजी क्षेत्र में विशेष उद्योग-धन्धों अथवा व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान व सहायता देती है वहीं अनेक वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करती है। भारत में अणुशक्ति, कोयला, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम, खनिज, सीमेण्ट, जहाज, रसायन आदि अनेक वस्तुओं का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन द्वारा देश का तेजी से विकास करने का उत्तरदायित्व सरकार का होने के कारण सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ा है।

**(3) सामाजिक न्याय**—आज लगभग सभी देशों में आय व सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक न्याय के इस उद्देश्य की प्राप्ति में सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी उचित नीति द्वारा निर्धन वर्गों पर अधिक व्यय करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।

**(4) आर्थिक स्थायित्व**—आर्थिक स्थायित्व को बनाये रखने में भी सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था में मन्दी-स्फीति की दशाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। मन्दी के समय सार्वजनिक व्यय की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन तथा रोजगार पर अच्छा प्रभाव डाला जा सकता है। इसके विपरीत, स्फीति के समय उत्पादकीय तथा शीघ्र फलदायक योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर स्फीतिक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के द्वारा मन्दी तथा स्फीति को नियन्त्रित करके आर्थिक स्थायित्व बनाये रखने में मदद मिलती है।

**(5) अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास**—विकासशील देशों में अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्या होती है। ऐसे क्षेत्रों का विकास आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर, सार्वजनिक उद्योगों को लगाकर, वहाँ के विकास के लिए वित्तीय सहायता व अनुदान प्रदान करके ही सम्भव होता है।

**(6) सामाजिक सुधार**—सार्वजनिक व्यय का महत्व सामाजिक सुधार में भी होता है। उदाहरणार्थ, मद्यपान को रोकने हेतु सार्वजनिक व्यय द्वारा निषेधात्मक उपाय किये जा सकते हैं। इसी प्रकार, सामाजिक कुरीतियों व रूढ़िवादी विचारों के बन्धनों को तोड़ना भी सरकार का कर्तव्य होता है जिन्हें सरकार शिक्षा, निर्धनता, पिछड़ेपन आदि पर व्यय करके कम कर सकती है। हरिजनों और पिछड़ी जातियों व जन-जातियों के उद्धार के लिए भी सरकार अनेक योजनाएँ चलाती है।

सार्वजनिक व्यय का महत्व उपर्युक्त कारणों से तो बढ़ ही रहा है, इसके अतिरिक्त आन्तरिक शान्ति, विदेशी आक्रमण, शीत युद्ध, न्याय आदि के कारण भी सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ा है।

## वैगनर का राज्य की गतिविधियों का नियम
## [Wagner's Law of State Activities]

एडोल्फ वैगनर (Adolf Wagner) एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1883 में सदैव बढ़ती हुई गतिविधियों के नियम का प्रतिपादन किया। इसे राज्य की गतिविधियों का नियम भी कहते हैं जिसमें उन्होंने सार्वजनिक व्यय के महत्व की व्याख्या की है। वैगनर के अनुसार सार्वजनिक व्यय राज्य की गतिविधियों में बढ़ते हुए विस्तार नियम के अनुसार वृद्धि करता है। उनके अनुसार राज्य के कार्यों तथा गतिविधियों की गहन तथा विस्तृत वृद्धि की निरन्तर प्रवृत्ति होती है। **गहन वृद्धि** (Intensive Increase) से आशय है कि राज्य के उन कार्यों पर, जो राज्य द्वारा प्राचीन समय में भी सम्पन्न किए जाते थे; जैसे—सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, उन पर आधुनिक समय में पूर्व की अपेक्षा अधिक व्यय किया जाता है। **विस्तृत वृद्धि** (Extensive Increase) से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा अनेक नये-नये कार्यों को अपनाया जाता है तथा उन पर अधिक व्यय किया जाता है। इस प्रकार, आर्थिक गतिविधियों में सरकार के हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय भी तेजी से बढ़ते हैं। वैगनर के शब्दों में, "विभिन्न देशों एवं विभिन्न समयों की विस्तृत तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्रगतिशील व्यक्तियों के समाज में जिससे हम सम्बन्धित हैं, केन्द्रीय तथा स्थानीय दोनों ही सरकार के कार्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। यह वृद्धि विस्तृत तथा गहन दोनों ही रूपों में होती है। केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें निरन्तर नये कार्यों को अपनाती हैं, जबकि वे पुराने तथा नये कार्यों को अधिक सम्पूर्णता एवं प्रभावपूर्णता से सम्पन्न करती हैं।"

एफ. एस. निट्टी ने वैगनर के नियम का समर्थन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि "सभी देशों की सरकारों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति निहित है चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार शान्तिकाल हो या युद्धकाल, छोटी सरकार हो या बड़ी सरकार।"

**वैगनर का नियम लागू होने के कारण (Causes of Application of Wagner's Law)**

वैगनर का नियम लागू होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

**(1) सरकार के परम्परागत कार्यों का अधिक जटिल व खर्चीला होना**—सरकार के कुछ कार्य प्राचीन काल से रहे हैं—सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था। आधुनिक समय में प्रत्येक देश में इन कार्यों की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन कार्यों का पूरा करना अधिक जटिल एवं खर्चीला (expensive) हो गया है। अतः यह सार्वजनिक व्यय में गहन वृद्धि का कारण कहे जा सकते हैं।

**(2) सरकार के कार्यों का विस्तार**—आधुनिक समय में सरकारें उपर्युक्त परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित कर रही हैं। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं का स्वतः उत्पादन या भागीदारी, निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ता खाद्यान्न, सड़क, पार्क इत्यादि। इस प्रकार सरकार के कार्यों एवं व्यय में विस्तार हो रहा है।

**(3) सार्वजनिक वस्तुओं के क्षेत्र का विस्तार**—सार्वजनिक वस्तुओं के क्षेत्र में निरन्तर विस्तार हो रहा है जिसके कारण सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में विनियोग किया जाना आवश्यक हो गया है। सरकार को सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन हेतु बड़े आकार के उद्योगों की स्थापना करनी पड़ती है जिसमें बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है।

**आलोचना (Criticism)**

वैगनर के नियम की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं :

**(1) विस्तृत विश्लेषणात्मक ढाँचे की कमी**—यह सही है कि वैगनर का नियम ऐतिहासिक तथ्यों के महत्व पर आधारित है, परन्तु इसमें उन दशाओं को नहीं दर्शाया गया है जिनके अन्तर्गत सरकार को अपने कार्यों एवं क्रियाओं में वृद्धि करनी पड़ती है। इस प्रकार इसमें विस्तृत विश्लेषणात्मक ढाँचे को शामिल नहीं किया गया है।

**(2) परिमाणात्मक सम्बन्ध का अभाव**—वैगनर ने यह तो बताया कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, परन्तु इस वृद्धि में परिमाणात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में असफल रहे। दूसरे शब्दों में, वह कुल सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि तथा इसकी वृद्धि दर में कोई संख्यात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके।

**(3) दीर्घकालीन विश्लेषण**—वैगनर का नियम केवल दीर्घकाल में लागू होता है जबकि आवश्यकता अल्पकालीन विश्लेषण की है। अल्पकाल में सरकार के समक्ष जो वित्तीय समस्याएँ आती हैं उन पर किस प्रकार सफलता पायी जाये, इसकी व्याख्या यह नियम नहीं करता है।

अन्त में कहा जा सकता है कि वैगनर का नियम ऐतिहासिक तथ्यों पर ही आधारित एवं दीर्घकालीन विश्लेषण होने के बावजूद प्रत्येक देश एवं प्रत्येक सरकार पर यह नियम लागू होता है तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एक सामान्य प्रवृत्ति बन गयी है।

## भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण
## [Causes of Increase in Public Expenditure in India]

बीसवीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की भावना का उदय हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों का अत्यधिक विस्तार हुआ तथा सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ा। आधुनिक समय में सभी देशों के सार्वजनिक व्यय में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, भारत में केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय 1950-51 में 504 करोड़ रुपये के थे जो बढ़कर 1980-81 में 22,495 करोड़ रुपये तथा 2014-15 में 16,81,158 करोड़ रुपये हो गये। इस प्रकार पिछले 65 वर्षों में केन्द्रीय सरकार के व्यय भारत में लगभग 3,335 गुना बढ़ गये हैं। सार्वजनिक व्यय में इतनी तेजी से जो वृद्धि हुई है उसके निम्नलिखित कारण कहे जा सकते हैं :

**(1) कल्याणकारी राज्य**—आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। इसका उद्देश्य नागरिकों के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर में वृद्धि करना है। इसका प्रयास होता है कि सामान्य नागरिक

**(8) प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी ढाँचा**—देश में प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी ढाँचे की वजह से भी सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि हुई है। सरकार का प्रजातान्त्रिक ढाँचा प्राय: सर्वाधिकारवादी ढाँचे की तुलना में अधिक खर्चीला होता है। भारत में प्रजातान्त्रिक ढाँचा प्राय: महँगा है। चुनावों तथा उप--चुनावों पर व्यय बढ़ रहे हैं। मन्त्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, सत्तारूढ़ दल समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा जनता को अपने पक्ष में करने के लिए भी बड़ी मात्रा में व्यय करता है।

**(9) आर्थिक नियोजन**--आर्थिक विकास के लिए अन्य अल्पविकसित देशों की भाँति भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक व्यय भी बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय प्रथम योजना में केवल 1,960 करोड़ रुपये था जो ग्यारहवीं योजना में बढ़कर 36,44,717 करोड़ रुपये हो गया।

**(10) कीमत-स्तर में वृद्धि**--देश में कीमत-स्तर भी निरन्तर बढ़ता रहा है जिसके कारण भी सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि हुई है। कीमत-स्तर के बढ़ने पर वस्तुओं व सेवाओं की उतनी ही मात्रा के लिए अधिक राशि चुकानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को महँगाई भत्ता व अधिक वेतन देना पड़ता है। गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध करानी पड़ती हैं।

**(11) सार्वजनिक आगम में वृद्धि**—सरकार के सार्वजनिक आगम में भी वृद्धि हुई है जिसके कारण भी सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाना पड़ा है। अन्यथा जनता यह अनुभव कर सकती है कि सरकार ने उसपर अनावश्यक कर-भार डाल रखा है।

**(12) स्थानीय व सामाजिक समस्याएँ**—सरकार को अनेक स्थानीय व सामाजिक समस्याओं का सामना करने हेतु भी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ा है। उदाहरणार्थ, 1947 में देश-विभाजन के कारण शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, 1971-72 में बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या, 1987-88 में देश में सूखे की समस्या, 2001 में गुजरात भूकम्प त्रासदी, 2004 में सुनामी कहर आदि के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय बड़ी मात्रा में हुए।

भारत के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के उपर्युक्त प्रमुख कारणों के अतिरिक्त अणुशक्ति, अनुसंधान, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभाव, आन्तरिक शान्ति एवं न्याय व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब, कश्मीर व नक्सल समस्या, राज्यों का एकीकरण व पुनर्गठन, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि तथा इन पर बढ़ता ब्याज, अनुदान भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण रहे हैं।

## सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त या नियम
## [Canons of Public Expenditure]

फिण्डले शिराज ने अपनी पुस्तक *'The Science of Public Finance'* में सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं :

**(1) लाभ का नियम (Canon of Benefit)**—इस सिद्धान्त के अनुसार सार्वजनिक व्यय से समाज के सभी व्यक्तियों को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लाभों को ध्यान में रखकर सार्वजनिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय हेतु सरकार कर लगाती है जिससे जनता को कष्ट होता है और उसकी क्रय शक्ति में कमी होती है। अत: सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसका अपव्यय न हो तथा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। ऐसा तभी सम्भव होता है जबकि सार्वजनिक व्यय विभिन्न मदों पर इस प्रकार आबण्टित किया जाय कि प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता आपस में बराबर हो। सार्वजनिक व्यय से सामाजिक व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त कुल आय में वृद्धि होनी चाहिए, जनता की सुविधाओं में वृद्धि करने वाली सेवाओं का विस्तार होना चाहिए तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए।

**(2) मितव्ययिता का नियम (Canon of Economy)**--मितव्ययिता के सिद्धान्त से आशय सार्वजनिक व्यय में किफायत दृष्टिकोण अपनाने से है। ध्यान रहे, मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी या कृपणता नहीं है। इस दृष्टिकोण से तो हानि हो सकती है और सार्वजनिक व्यय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा पहुँचती है। मितव्ययिता के नियम के अन्तर्गत सरकार को किसी मद पर आवश्यक धनराशि व्यय करने से उसमें फिजूलखर्ची या अपव्यय नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अनिवार्य एवं

तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी कार्यों में विभेद कर ले तथा सार्वजनिक व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जाय जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता में कोई सन्देह न हो। मितव्ययिता से आशय अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से भी होता है। किसी व्यय की मितव्ययिता तभी सिद्ध होती है जबकि वह उत्पादक होता है। सार्वजनिक व्यय से व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचत करने की क्षमता एवं इच्छा में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें कमी होती है तो ऐसा व्यय उचित नहीं होता है। किसी भी एक मद पर बार-बार व्यय करना उचित नहीं होता है।

**(3) स्वीकृति का नियम (Canon of Sanction)**—इस नियम के अनुसार सार्वजनिक व्यय उपयुक्त अधिकारी या सत्ता की स्वीकृति के उपरान्त ही किये जाने चाहिए। प्रजातान्त्रिक देशों में सार्वजनिक व्यय तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक संसद या विधानसभा उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देती है। वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही सरकार को अपने बजट का अनुमोदन करा लेना होता है। जब भी कोई अधिकारी व्यय करे तो उसे उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना पूर्व अनुमति का व्यय वैध नहीं होता है। इसका उद्देश्य अविवेकपूर्ण तथा अनधिकृत व्ययों पर रोक लगाना होता है। इससे भ्रष्टाचार, गबन आदि की भी सम्भावना नहीं रहती हैं। स्वीकृति के अन्तर्गत यह भी देखना होता है कि व्यय करने वाला अधिकारी राशि को उसी कार्य में व्यय करे जिसके लिए उसे स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह देखने के लिए कि सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, वित्तीय वर्ष के अन्त में सरकारी कार्यालयों को अपने खातों का योग्य अंकेक्षक से लेखा-परीक्षण तथा निरीक्षण कराना चाहिए।

**(4) बचत या आधिक्य का नियम (Canon of Surplus)**—इस नियम के अनुसार बजट में घाटे की स्थिति से बचना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य नागरिक अपने बजट में आय की तुलना में व्यय कम रखता है उसी प्रकार सरकार को अपने बजट में घाटे की आदत नहीं डालनी चाहिए। यदि सरकार को ऋण प्राप्त करने पड़ें तो आवश्यकतानुसार उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए परन्तु सरकार की आय इतनी होनी चाहिए कि वह उस ऋण का ब्याज अदा कर सके तथा ऋण शोधन के लिए 'शोधन निधि' का निर्माण कर सके।

आधुनिक समय में आधिक्य का नियम व्यावहारिक नहीं जान पड़ता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार बजट का आकार एवं स्वरूप अर्थव्यवस्था की दशा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मुद्रास्फीति की दशा में आधिक्य का बजट अच्छा होता है क्योंकि इससे लोगों की क्रयशक्ति कम हो जाती है जो प्रभावपूर्ण माँग को कम करती है और चालू माँग एवं चालू उत्पादन में साम्य स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार मन्दी की दशा में घाटे का बजट वांछनीय होता है क्योंकि यह क्रयशक्ति वृद्धि द्वारा प्रभावपूर्ण माँग बढ़ाकर चालू माँग एवं उत्पादन में साम्य स्थापित करने में सहायक होता है।

विकाशील देशों में घाटे का बजट पूँजी निर्माण में वृद्धि के यन्त्र के रूप में प्रयुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु इसमें घाटा अधिक नहीं होना चाहिए एवं व्यय उत्पादकीय होने चाहिए अन्यथा मुद्रास्फीति फैलने का भय रहता है। कहने का आशय है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकतानुसार बजट का स्वरूप होना चाहिए। हाँ, पूर्ण रोजगार एवं मूल्य स्थिरता की दशा में सन्तुलित बजट बनाया जा सकता है।

## सार्वजनिक व्यय के अन्य नियम (Other Canons of Public Expenditure)

फिण्डले शिराज के उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ अन्य नियम प्रस्तुत किये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

**(1) लोच का नियम**—लोच के नियम से तात्पर्य है कि सार्वजनिक व्यय की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार कमी अथवा वृद्धि करना सम्भव हो। विपत्ति या मन्दी के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की आवश्कता होती है। इसके विपरीत, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को कम करना होता है। अतः सार्वजनिक व्यय में इस प्रकार की लोच होनी चाहिए कि एक ओर अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर आय के स्रोतों के अनुरूप उसमें समायोजन किया जा सके।

**(2) उत्पादकता का नियम**—उत्पादकता के नियम का आशय है कि सरकार की व्यय नीति ऐसी होनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को प्रोत्साहित करे। स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार सार्वजनिक व्यय केवल उत्पादक एवं विकास सम्बन्धी योजनाओं पर ही किया जाना चाहिए। अतः रोजगार, उत्पादन तथा आय में वृद्धि ही सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।